कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0 मुजफ्फरनगर

पत्रांक: 3496/26 सी0 दिनांक 10/09/18

सेवा में

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन),
कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट,
मुजफ्फरनगर।

विषय:- **मै0 हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कॉर्पोरेशन** लिमिटेड द्वारा जनपद **मुजफ्फरनगर** में पानीपत **खटीमा राज्य मार्ग सं0 12ए0 कि0मी0** 28.00 (चैंनेज 27.096 **कि0मी0**) में स्थित ग्राम **सलारपुर तहसील** जानसठ जिला मुजफ्फरनगर में एक नवीन पैट्रोल/डीजल रिटेल **आऊटलेट स्थापित किये** जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- **आपका पत्रांक 994/**शस्त्र सहायक/18 दिनांक 21.06.2018 एवं मुख्य अभियन्ता, **सहारनपुर क्षेत्र, लो0नि0वि0**, सहारनपुर का पत्रांक 500/सी0-स0पुर क्षेत्र/2018 दिनांक **07.09.2018**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रकरण में अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु प्रेषित किया गया है। उक्त रिटेल आउटलेट की अनापति निम्न शर्तो के अनुसार प्रदान की जाती है।

1. मै0 हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा यू0पी0 रोड साईड लैण्ड कन्ट्रोल एक्ट के अन्तर्गत जनपद मुजफ्फरनगर में पानीपत खटीमा राज्य मार्ग सं0 12ए0 कि0मी0 28.00 (चैंनेज 27.096 कि0मी0) खसरा नं0 1040 में स्थित ग्राम सलारपुर तहसील जानसठ जिला मुजफ्फरनगर मार्ग के बायी ओर प्रस्तावित रिटेल आऊटलेट पट्रौल पम्प मार्ग के मध्य से 23.00 मीटर(75.4 फीट) की दूरी के बाद स्थापित किया जायेगा।
2. मै0 हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित पेट्रोल पम्प की स्थापना संलग्न एनैक्सर-I,II,III में वर्णित समस्त शर्तो का पालन करते हुये स्थापित करेगी। उनके द्वारा यदि एनैक्सर-I,II,III में वर्णित कोई भी शर्तो को उल्लंघन किया जाता है तो यह अनुमति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
3. आवेदक को मार्ग के मध्य से 15.24 मीटर (50 फीट) की दूरी के बाद 01 मीटर चौडी नाली का निर्माण करना होगा तथा विभागीय अनुबन्ध के बाद रिटेल-आउटलेट के प्रवेश द्वार एवं निकासी द्वार पर 1मीटर स्पान की आर0सी0सी0 स्लेब नाली का निर्माण करते हुये उसके उपर लोहे का जाल लगाया जायेगा। पुलिया नाली का टोप लेवल मार्ग की पटरी से 2 प्रतिशत के ढाल में पटरी से नीचा रखा जायेगा, ताकि मार्ग पर किसी भी दशा में पानी एकत्रित न हो पाये। पैट्रोल पम्प के पानी की निकासी हेतु भी पम्प परिसर में नाली की ओर 2 प्रतिशत का ढाल किया जायेगा ताकि मार्ग पर किसी भी दशा में मार्ग पर पानी एकत्रित न रहने पाये।
4. नाली के निर्माण एवं पैट्रोल पम्प के निर्माण से राज्य मार्ग के यातायात में अवरोध नहीं होना चाहिए।
5. रिटेल आउटलेट का निर्माण इस प्रकार हो की वर्षा का पानी बहकर मार्ग की ओर आकर मार्ग को क्षतिग्रस्त न करें इसी प्रकार मार्ग से रिटेल आउटलेट की ओर ढाल देकर निर्माण किया जाये ताकि पानी के रूकने से कहीं पर अवरोध न हो।

क्रमशः........

संजय नागपाल
Sanjay Nagpal
विधिवत गठित न्यायवादी
Duly Constituted Attorney
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
Hindustan Petroleum Corporation Limited
मेरठ रिटेल क्षेत्रीय कार्यालय-मेरठ
Meerut Retail Regional Office - Meerut

12/10/18

D:\Nennd kishore\...\letter 2018.doc

6. मार्ग पर मलवा निर्माण सामग्री आदि एकत्रित करना अवैध होगा।
7. यदि ऑयल कम्पनी नक्शे से अलग कोई भी निर्माण बिना अनुमति के करती है तो यह अनुमति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
8. एनैक्सर-।।। के बिन्दू सं0 4/14 में वर्णित शर्त के अनुसार लाईसेंस फीस हेतु दो लाख का 5 प्रतिशत अर्थात रू0 10,000.00 प्रतिवर्ष (कलैन्डर वर्ष) अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, मु0नगर के खाते में जमा करने होगे, उक्त धनराशि जमा न करने की दशा में स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
9. निर्माण कार्य में यू0पी0 रोड साईड लैण्ड कन्ट्रोएक्ट 1945 के मानको का अनुपालन किया जायेगा।
10. भविष्य में मार्ग के विस्तार की सम्भावना है यदि विभाग को चौडीकरण हेतु भूमि की आवश्यकता होगी तो ऑयल कम्पनी को विभागीय शर्तो पर भूमि छोडनी होगी।
11. निर्गत अनुमति की एक प्रति अभिलेख हेतु इस कार्यालय को उपलब्ध करायी जाये।
12. रिटेल आउटलेट के पहुँच मार्ग का रखरखाव हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कारपोरेशन लि0 के डीलर द्वारा स्वयं के व्यय पर करना होगा।
13. यदि निर्माण स्थल भूमि पर न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन है तो ऐसी दशा में अनापत्ति प्रमाण-पत्र स्वयं निरस्त समझा जायेगा।
14. पैट्रोल पम्प पर स्वच्छ पीने का पानी एवं टॉयलेट की सफाई की उचित व्यवस्था एवं रखरखाव किया जायेगा विभाग द्वारा समय-समय पर निरीक्षण किया जायेगा।
15. एनैक्सर-।।। के बिन्दु सं0 4/14 में वर्णित शर्त के अनुसार धनराशि 2.00 लाख का डिमाण्ड ड्राफ्ट अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, मुजफ्फरनगर के खाते में पैट्रोल पम्प की स्थापना से पूर्व जमा करना होगा। यह धनराशि जमा किये बगैर कोई भी कार्य कराया जाना अवैध होगा।

यदि आवेदक उपरोक्त किसी भी शर्त का अनुपालन नहीं करता है तो उपरोक्त संस्तुति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

संलग्नः- 1. मानचित्र की दो प्रति।
2. निर्धारित चैक लिस्ट एवं एनैक्सर-।,।। की छायाप्रति।
3. एनैक्सर-।।। की छायाप्रति।
4. अण्डरटेकिंग की छायाप्रति।
5. मै0 हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कारपोरेशन लि0 के दो पत्रों की छायाप्रति।
6. भूमीधरी की छायाप्रति।

10/9

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
मुजफ्फरनगर

पत्रांकः / 26 सी0 दिनांक

प्रतिलिपिः- **निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।**
1. सहायक अभियन्ता प्रथम, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, मुजफ्फरनगर को सुचनार्थ प्रेषित।
2. अवर अभियन्ता (प्राविधिक), प्रा0खण्ड, लो0नि0वि0, मु0नगर को पूर्ण प्रकरण की मूल प्रति अभिलेख हेतु।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
मुजफ्फरनगर

संजय नागपाल
Sanjay Nagpal
विधिवत गठित न्यायवादी
Duly Constituted Attorney
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
Hindustan Petroleum Corporation Limited
मेरठ रिटेल क्षेत्रीय कार्यालय-मेरठ
Meerut Retail Regional Office - Meerut

12/10/18